राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी, प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी के अभिभाषक का नाम
1.	3944 / 2021	डॉ0 मनोज कुमार उंचवाल	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर। 2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर। 3. डॉ0 मुकेश कुमार सिरोवा जिला क्षय रोग अधिकारी, दौसा।	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
2.	3385 / 2022	डॉ0 मुकेश कुमार सिरोवा	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर। 2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर। 3. डॉ0 मनोज कुमार उंचवाल, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय दौसा।	श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 09.11.2022

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई। अपीलवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

अपील संख्या 3944 / 2022 डॉ. मनोज कुमार उंचवाल

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.08.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय दौसा से जिला क्षय अधिकारी दौसा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के स्थान पर किया गया। उक्त आलोच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 17.08.2022 को कार्यमुक्त होकर उक्त दिनांक को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–3 से 5)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 15 दिवस की अल्पावधि में जिला क्षय रोग अधिकारी, दौसा से जिला चिकित्सालय, दौसा में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने रामेश्वर गुर्जर बनाम राज्य एवं अन्य प्रकरणों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि अल्प अवधि में किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है तो वह अनुचित व अवैध है

तथा अधिकरण में दायर अपील में दिनांक 27.07.2022 (अनुलग्नक–6) को स्थगन आदेश जारी किया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.08.2022 (अनुलग्नक–7) द्वारा डॉ0 सीमा मीना चिकित्सा अधिकारी का जिला क्षय निवारण केन्द्र, दौसा से जिला चिकित्सालय, दौसा में स्थानान्तरण किए जाने से अब जिला चिकित्सालय, दौसा में कोई पद रिक्त नहीं है। इस कारण से भी आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा एक पंचायत समिति से उसी पंचायत समिति में स्थानान्तरण करने का अधिकार पंचायत समिति को दिया गया है परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण पैतृक विभाग द्वारा किया गया है, जो राजस्थान पंचायतीराज (Transfered Activities) नियम, 2011 के नियम 8 (i) का उल्लंघन है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर जिला क्षय निवारण केन्द्र, दौसा में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे और न ही उसको वहां मिलने वाले वेतन भत्ते व अन्य लाभों से वंचित करे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.08.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण जिला क्षय अधिकारी दौसा से जिला चिकित्सालय दौसा किया गया और अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय दौसा से निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के स्थान पर जिला क्षय अधिकारी, दौसा किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3385/2022 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक–आर 3/1) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी। अपीलार्थी सामान्य चिकित्सा अधिकारी है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 कनिष्ठ विशेषज्ञ है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2022 को अपीलार्थी को पुनः जिला चिकित्सालय, दौसा में रिक्त पद पर लगा दिया गया, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है। निजी प्रत्यर्थी वर्तमान में जिला क्षय अधिकारी दौसा के पद पर अधिकरण के आदेश दिनांक 08.09.2022 की अनुपालना में कार्य कर रहा है और अपीलार्थी उसी पद के लिए स्थगन चाह रहा है, जो नियमानुसार व कानूनी रूप से दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी के प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम 2011 लागू नहीं होता है क्योकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला क्षय केन्द्र दौसा से जिला चिकित्सालय दौसा में स्थानान्तरण किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमने उक्त दोनों अपीलों के अपीलार्थीगण, प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उक्त दोनों पत्रावलियों में उपलब्ध रिकॉर्ड से यह तथ्य सामने आता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.08.2022 (अनुलग्नक–2) से अपीलार्थी को जिला चिकित्सालय दौसा से जिला क्षय अधिकारी दौसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थानान्तरित किया गया था तथा प्रत्यर्थी संख्या–3 को जिला क्षय अधिकारी दौसा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग, भरतपुर चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3385/2022 प्रस्तुत किए जाने पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 08.09.2022 से प्रत्यर्थी के जिला क्षय अधिकारी दौसा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग, भरतपुर चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण आदेश स्थगित किया गया तथा क्रियान्विति (Operation) पर रोक लगाते हुए आदेश दिए कि वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था तथा उक्त स्थगन आदेश अभी विद्यमान है। अब अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.08.2022 की पालना में कार्यग्रहण किए जाने के 15 दिन बाद ही स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण दौसा शहर में ही एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ही रिक्त पद पर किया गया है। आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा आलोच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के कारण से जारी किया गया है। अतः इसमें दुर्भावना की स्थिति भी विद्यमान नहीं है तथा राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) के 2011 के प्रावधान भी लागू नहीं होते है। उक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

उक्त आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3944/2021 में एवं आदेश की प्रतिलिपि उपर्युक्त शीर्षक टेबिल में अंकित अन्य अपील की पत्रावली में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य